फर्द अहकाम

न्यायालय गोपाल बनाम सरकार

संख्या 197/2024

संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	10/7/24	वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 का पेश किया रिपोर्ट सरिश्ता तलब हो आज ही पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई प्रार्थी की ओर से पेश प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है लिखित निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)	

Signature Not Verified

Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.09.06 15:39:27 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जयपुर–द्वितीय(सांगानेर)जयपुर

पीठासीन अधिकारी का नाम : हिम्मत सिंह, आर.ए.एस.
प्रार्थना पत्र संख्या : 197 / 2024
निर्णय दिनांक :10.07.2024

1. गोपाल लाल पुत्र गुल्लाराम जाति बागडा ब्राहम्ण निवारी ग्राम रघुनाथपुरा उर्फ रातल्या तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

बनाम प्रार्थी

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सांगानेर पता तहसील कार्यालय सांगानेर जिला जयपुर।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

प्रार्थी की ओर से पेश प्रार्थना पत्र का विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी की संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि खसरा नम्बर 325 रकबा 0.4300 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 326 रकबा 0.4300 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 336 रकबा 0.2500 हैक्टेयर, ससरा नम्बर 337 रकबा 0.3400 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 338 रकबा 0.5200 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 339 रकबा 0.2700 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 340 रकबा 0.0700 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 341 रकबा 0.4400 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 342 रकबा 0.0100 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 343 रकबा 0.1600 हैक्टेयर, ससरा नम्बर 344 रकबा 0.3600 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 345 रकबा 0.0600 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 388 रकबा 0.0200 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 389 रकबा 0.2400 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 390 रकबा 0.3100 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 397 रकबा 0.2800 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 412 रकवा 0.1000 हैक्टेयर कुल किता 17 कुल रकबा 4.2900 हैक्टेयर वाके ग्राम रघुनाथपुरा उर्फ रातल्या पटवार हल्का लाखना भू अभि नि क्षेत्र मुहाना तहसील सांगानेर जिला जयपुर में स्थित है. जो उक्त प्रार्थना पत्र में वादग्रस्त कृषि भूमि से सम्बोधित की गई है। उक्त वादग्रस्त भूमि के वर्तमान राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी सम्वत् 2074 से 2077 के अनुसार इन्द्राज निम्न प्रकार से है "गोपीलाल पुत्र गुल्लाराम हिस्सा–1/8 जाति बागडा ब्राहम्ण सा. देह खातेदार", इस प्रकार हाल जमाबन्दी में सहवन से प्रार्थी का नाम गोपाल लाल के स्थान पर गोपीलाल दर्ज कर दिया गया है, जिसको की दुरुस्त किया जाना आवश्यक है। प्रार्थी का सही एवं शुद्ध नाम गोपाल लाल है तथा इसी ग्राम में प्रार्थी की अन्य भूमि खसरा नम्बर 327, 328 वगैरह की जमाबन्दी में प्रार्थी का सही एवं शुद्ध नाम गोपाल लाल दर्ज है, प्रार्थी के आधार कार्ड, मतदाता परिचय पत्र आदि में भी प्रार्थी का नाम गोपाल लाल ही अंकित है। प्रार्थी उक्त वादग्रस्त भूमि के राजस्व रिकार्ड में भी अपने नाम बाबत हुई अशुद्धि का दुरूस्त करवा कर अपना सही एंव सत्य नाम गोपाल लाल अंकित करवाना चाहता है, इस प्रकार राजस्व रिकार्ड में उक्त वादग्रस्त भूमि की खातेदारी बाबत हुए प्रार्थी के नाम के गलत इन्द्राज को दुरूस्त कर प्रार्थी का सही नाम गोपाल लाल राजस्व रिकार्ड में अंकित किया जाना न्यायहित में आवश्यक एंव उचित है। प्रार्थी द्वारा राजस्व रिकार्ड में अंकित अपने नाम के उक्त गलत इन्द्राजात् को दुरूस्त कर अपना सही एंव सत्य नाम गोपाल लाल का अंकन किये जाने बाबत अप्रार्थी से कई बार निवेदन कर चुका है किन्तु इसके बावजूद भी अप्रार्थी द्वारा उक्त गलत इन्द्राजात को दुरूस्त प्रार्थी का सही नाम अंकित किये जाने की कोई कार्यवाही नहीं की है और अप्रार्थी ने प्रार्थी से दिनांक 02.07.2024 को कहा कि उक्त गलत इन्द्राजात् की दुरूस्ती एंव सही नाम का अंकन श्रीमान् एस. डी. ओ. साहब के आदेश से ही की जा

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.09.06 15:39:27 IST
Reason: SelfAttested

सकती है, ऐसी स्थिति में प्रार्थी द्वारा श्रीमान् न्यायालय के समक्ष राजस्व रिकार्ड में वादग्रस्त भूमि की खातेदारी में प्रार्थी का सही एंव सत्य नाम गोपाल लाल अंकित किये जाने हेतु उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया है। 8. यह कि प्रार्थना पत्र की सुनवाई कर उसे निर्णित करने का श्रीमान् न्यायालय को क्षेत्राधिकार एंव श्रवणाधिकार प्राप्त है।

अतः प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र की मद संख्या एक में वर्णित कृषि भूमि खसरा नम्बर 325 रकबा 0.4300 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 326 रकबा 0.4300 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 336 रकबा 0.2500 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 337 रकबा 0.3400 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 338 रकबा 0.5200 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 339 रकबा 0.2700 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 340 रकबा 0.0700 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 341 रकबा 0.4400 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 342 रकबा 0.0100 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 343 रकबा 0.1600 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 344 रकबा 0.3600 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 345 रकबा 0.0600 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 388 रकबा 0.0200 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 389 रकबा 0.2400 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 390 रकबा 0.3100 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 397 रकबा 0.2800 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 412 रकबा 0.1000 हैक्टेयर कुल किता 17 कुल रकबा 4.2900 हैक्टेयर वाके ग्राम रघुनाथपुरा उर्फ रातल्या पटवार हल्का लाखना भू अभि नि क्षेत्र मुहाना तहसील सांगानेर जिला जयपुर बाबत हुए गलत इन्द्राजात "गोपी लाल" के स्थान पर दुरूस्त कर प्रार्थी का सही, सत्य एवं शुद्ध नाम "गोपाल लाल" का अंकन राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में किये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

प्रार्थना पत्र दर्ज किया जाकर प्रार्थी को प्रार्थना पत्र पर सुना गया। दौराने बहस प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराया एवं निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि भूमि खसरा नम्बर 325 रकबा 0.4300 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 326 रकबा 0.4300 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 336 रकबा 0.2500 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 337 रकबा 0.3400 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 338 रकबा 0.5200 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 339 रकबा 0.2700 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 340 रकबा 0.0700 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 341 रकबा 0.4400 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 342 रकबा 0.0100 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 343 रकबा 0.1600 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 344 रकबा 0.3600 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 345 रकबा 0.0600 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 388 रकबा 0.0200 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 389 रकबा 0.2400 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 390 रकबा 0.3100 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 397 रकबा 0.2800 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 412 रकबा 0.1000 हैक्टेयर कुल किता 17 कुल रकबा 4.2900 हैक्टेयर वाके ग्राम रघुनाथपुरा उर्फ रातल्या पटवार हल्का लाखना भू अभि नि क्षेत्र मुहाना तहसील सांगानेर जिला जयपुर बाबत हुए गलत इन्द्राजात "गोपी लाल" के स्थान पर दुरूस्त कर प्रार्थी का सही, सत्य एवं शुद्ध नाम "गोपाल लाल" का अंकन राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में किये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

बहस प्रार्थी एवं संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन करने पर प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956 को स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार सांगानेर को आदेशित किया जाता है कि राजस्व ग्राम रघुनाथपुरा उर्फ रातल्या पटवार हल्का लाखना भू अभि नि क्षेत्र मुहाना तहसील सांगानेर जिला जयपुर में वर्णित कृषि भूमि खसरा नम्बर 325 रकबा 0.4300 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 326 रकबा 0.4300 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 336 रकबा 0.2500 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 337 रकबा 0.3400 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 338 रकबा 0.5200 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 339 रकबा 0.2700 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 340 रकबा 0.0700 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 341 रकबा 0.4400 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 342 रकबा 0.0100 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 343 रकबा 0.1600 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 344 रकबा 0.3600 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 345 रकबा 0.0600 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 388 रकबा 0.0200 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 389 रकबा 0.2400 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 390 रकबा 0.3100 हैक्टेयर,

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.09.06 15:39:27 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर

खसरा नम्बर 397 रकबा 0.2800 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 412 रकबा 0.1000 हैक्टेयर कुल किता 17 कुल रकबा 4.2900 हैक्टेयर में प्रार्थी का गलत इन्द्राजात "गोपी लाल" के स्थान पर दुरूस्त कर प्रार्थी का सही, सत्य एवं शुद्ध नाम "गोपाल लाल" का अंकन राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में दुरूस्त किया जावे। आदेश की पालना हेतु तहसीलदार सांगानेर को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 10.07.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

(हिम्मत सिंह)
उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट
जयपुर-द्वितीय (सांगानेर)
जयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.09.06 15:39:27 IST
Reason: SelfAttested